कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–2
दूरभाष –0542 222689
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith
Varanasi-2
Phone- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0–सम्बद्धता/835/2010, दिनांक : 24 दिसम्बर, 2010

सेवा में,
प्राचार्य/प्रबंधक,
बी0एड0 महाविद्यालय,
सम्बद्ध महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी।

विषयः **सत्र 2010–11 की बी0एड0 काउन्सिलिंग के पश्चात् रिक्त सीटों पर प्रवेश के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अपने महाविद्यालय में बी0एड0 2010 की काउंसिलिंग के उपरान्त रिक्त सीटों पर प्रवेश लिये जाने विषयक अपने पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषयक विश्वविद्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक कु0स0/सम्बद्धता/823/2010 दिनांक 21.12.2010 एवं लखनऊ विश्वविद्यालय के आदेश दिनांक 22.12.2010 के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा निर्देश के अनुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों पर प्रवेश लिये जाने हेतु माननीय कुलपति जी ने अधोलिखित शर्तो के अंतर्गत अनुमति प्रदान की है।

शर्तेः–

1. प्रश्नगत सीटो पर प्रवेश हेतु सम्बंधित महाविद्यालय द्वारा दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा, एवं हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी की जायेगी।
2. रिक्त प्रदर्शित सीटों के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं का नाम व रोल नम्बर विज्ञापन में दिया जायेगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2010 से आवंटित वे छात्र/छात्राएं जिनकी सीटे रिक्त दिखायी गयी हैं यदि वे प्रवेश हेतु आवेदन करते हैं तो उनका प्रवेश प्रथम वरीयता के आधार पर किया जायेगा।
3. यदि उपर्युक्त अभ्यर्थी आवेदन नहीं करते हैं तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2010 के सफल अभ्यर्थियों रैंक 01 से रैंक 275000 से मेंरिट के आधार पर प्रवेश किया जायेगा। यदि फिर भी सीट रिक्त रह जाती है तो रैंक 300000 तक के अभ्यर्थियों का मेरिट के आधार पर प्रवेश लिया जायेगा।
4. महाविद्यालयों द्वारा अवगत करायी गयी रिक्त सीटों के सम्बन्ध में यदि कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बंधित महाविद्यालय का होगा।
5. छात्र/छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय का आदेश महाविद्यालयों पर बाध्यकारी होगा।

रू0 50.00 मात्र का नोटरी शपथ पत्र (प्रारूप संलग्न) प्रस्तुत करते हुए प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें, है। प्रश्नगत सन्दर्भ में उ0प्र0 शासन एवं लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेश म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी की वेबसाइट **www.mgkvp.ac.in** पर भी उपलब्ध है। अतः उपरोक्तानुसार प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर विज्ञापन की प्रति व उक्त वांछित अभिलेखों (प्राप्त आवेदन पत्रो की मेरिट सूची) के साथ सम्पूर्ण प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सत्यापित सूची एवं सी0डी0 अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें। जिससे उसे आयोजक विश्वविद्यालय एवं शासन को उपलब्ध कराया जा सके।

संलग्नक– **शपथ पत्र का प्रारूप।**

भवदीय,

(आई0पी0झा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि –
1. माननीय कुलपति जी ।
2. कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0 प्र0 शासन, लखनऊ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
5. प्रभारी कम्प्यूटर सेण्टर को इस आशय से कि पत्र को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध करायें।

24.12.10

(आई0पी0झा)
कुलसचिव

पत्र संख्या :........................../सम्बद्धता अनु./2010

दिनांक :..........................

समस्त पत्र–व्यवहार कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, को सम्बोधित करें अन्य किसी अधिकारी के नाम से नहीं।

9999
23-12-10

प्रेषक,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ–226007

सेवा में,

माडल ड्राफ्ट

प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या,
बी0एड0 सहयुक्त महाविद्यालय।

महोदय/महोदया,

कृपया अपने महाविद्यालय में संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2010 की काउन्सिलिंग के उपरान्त रिक्त सीटों पर प्रवेश लिये जाने विषयक अपने पत्र का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नलिखित महाविद्यालयों द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित बी0एड0 पाठ्यक्रम की रिक्त सीटों पर प्रवेश लिये जाने हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रवेश लिये जाने की अनुमति मा0 कुलपति महोदय ने प्रदान कर दिया है :–

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	रिक्त दर्शायी गयी संख्या
1		
2		

शर्तें :–

1. प्रश्नगत सीटों पर प्रवेश हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा दैनिक जागरण, अमर उजाला, राष्ट्रीय सहारा एवं हिन्दुस्तान में से ही किसी समाचार पत्र में विज्ञप्ति जारी की जायेगी।
2. रिक्त प्रदर्शित सीटों के सापेक्ष प्रवेशित छात्र/छात्राओं का नाम व रोल नम्बर विज्ञापन में दिया जायेगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2010 से आबंटित थे छात्र/छात्रायें जिनकी सीटें रिक्त दिखायी गयी हैं यदि वे प्रवेश हेतु आवेदन करते हैं तो उनका प्रवेश प्रथम वरीयता के आधार पर किया जायेगा।
3. यदि उपर्युक्त अभ्यर्थी आवेदन नहीं करते हैं तो संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2010 के सफल अभ्यर्थियों रैंक–01 से रैंक–275000 से मेरिट के आधार पर प्रवेश किया जायेगा यदि फिर सीटें रिक्त रह जाती हैं तो रैंक–300000 तक के अभ्यर्थियों का मेरिट के आधार पर प्रवेश किया जायेगा।
4. महाविद्यालयों द्वारा अवगत करायी गयी रिक्त सीटों के सम्बन्ध में भविष्य में यदि कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित महाविद्यालय का होगा।
5. छात्र छात्राओं के प्रवेश के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश महाविद्यालय पर बाध्यकारी होगा।

अतः उपरोक्तानुसार प्रवेश प्रकिया पूर्ण कर विज्ञापन की प्रति व उक्त वांछित अभिलेखों के साथ सम्पूर्ण प्रवेशित छात्र/छात्राओं की सत्यापित सूची अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

कुलसचिव

संख्या : दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. समस्त उपरोक्त सम्बन्धित महाविद्यालय।
3. उप कुलसचिव (प्रवेश)
4. गार्ड फाईल।

कुलसचिव

संख्या : दिनांक : 22.12.2010

प्रतिलिपि कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0 को उक्त माडल ड्राफ्ट की प्रति इस आशय से प्रेषित कि कृपया अपने विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में बी0एड0 प्रवेश हेतु आवश्यक कार्यवाही तदनुसार अपने स्तर से सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

(जी0पी0 त्रिपाठी)
कुलसचिव

Letter

संख्या-2860/सत्तर-2-2010-16(309)/2010

प्रेषक,

डॉ0 जयदेव मित्रा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

4798
22-12-10

सेवा में,

कुलसचिव,
लखनऊ विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

Registrar

उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊःदिनांकः 10 दिसम्बर, 2010

विषयः- दिनांक 23-11-2010 को समाप्त हुई सत्र 2010-11 की बी0एड0 काउन्सिलिंग के पश्चात् रिक्त सीटों को भरे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2844/सत्तर-2-2010-16(309)/2010, दिनांक 30 नवम्बर, 2010 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बी0एड0 सत्र 2010-11 सत्र की रिक्त सीटों को भरे जाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये थे। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 में अंकित दिशा-निर्देश की छठवीं एवं सातवीं पंक्ति में अंकित ''बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा के रोल नम्बर 2,50,001 से 2,75,000 तक के इच्छुक अभ्यर्थी'' के स्थान पर संशोधन करते हुए निम्नवत् पंक्ति प्रतिस्थापित की जाती हैः-

''बी0एड0 संयुक्त प्रवेश परीक्षा के मेरिट कमांक 1 से 2,75,000 तक के इच्छुक अभ्यर्थी एवं तत्पश्चात् भी सीटों के रिक्त रहने पर मेरिट क्रमांक 2,75,001 से 3,00,000 तक के इच्छुक अभ्यर्थी।''

2- उक्त शासनादेश दिनांक 30 नवम्बर, 2010 की शेष व्यवस्था यथावत् रहेगी।

3- उक्त सम्बन्ध में यह भी निर्देशित करना है कि प्रवेश सम्बन्धी समस्त कार्यवाही प्रत्येक दशा में दिनांक 25-12-2010 तक पूर्ण करते हुए तत्काल शिक्षण कार्य आरम्भ कर दिया जाय।

4- कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
जे. मित्रा
(डॉ0 जयदेव मित्रा)
संयुक्त सचिव।

संख्या-2860(1)/सत्तर-2-2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
(3) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(4) निदेशक, सूचना विभाग को इस आशय से कि कृपया समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
(5) वैभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,
(डॉ0 जयदेव मित्रा)
संयुक्त सचिव।

कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0
को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

भवदीय
(जी0पी0 त्रिपाठी)
कुलसचिव
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

कुलसचिव
Registrar

Dec. 21 2010 05:39PM P2

FAX NO. :0522 2741812

2008

फेसर मनोज कुमार मिश्र
कुलपति
ROFESSOR M.K. MISHRA
F.A.Sc,F.N.A.Sc
VICE-CHANCELLOR

UNIVERSITY OF LUCKNOW

लखनऊ विश्वविद्यालय
लखनऊ–226007
UNIVERSITY OF LUCKNOW,
LUCKNOW-226007
(U.P.) INDIA

पत्रांक : [illegible]/11.28/2010
दिनांक : 21 .12. 2010

न्ध

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध महाविद्यालयों में 2010–11 सत्र के बी0एड0 पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रकिया शासनादेशान्तर्गत लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा सम्पन्न की गई। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2010 की लिखित परीक्षा में प्राप्त रैंक के अनुसार सम्पूर्ण प्रवेश में काउन्सलिंग के तीन चक्र सम्पादित किये गये।

प्रवेश सम्बन्धी संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

प्रतिभागी विश्वविद्यालयों की संख्या	11
महाविद्यालयों / संस्थाओं की संख्या	1,022
सम्पूर्ण उपलब्ध सीटों की संख्या	1,14,410
आबंटित अभ्यर्थियों की संख्या (प्रतिशत)	1,12,230 (98.1%)
शेष रिक्त सीटों की संख्या (प्रतिशत)	2,180 (1.9%)

संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2010 की तृतीय एवं अंतिम काउन्सलिंग 23 नवम्बर, 2010 को समाप्त हुई।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय मे प्रस्तुत एस0एल0पी0 संख्या 13040 / 2010 (कालेज आफ प्रोफेशनल एजुकेशन तथा अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य तथा अन्य दिनांक 12.11.2010) के अनुसार *"The state will not be entitled to postpone the counselling. On completion of the said counselling it will be open to the colleges to fill up the balance seats"*

माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत के उपरोक्त निर्देश के अनुपालन में लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा बी0एड0 (सत्र 2010 11) में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया प्रस्तावित की जाती है :–

- समस्त प्रवेश पूर्णतया 19 जून 2010 को आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2010 में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त रैंक के आधार पर ही किये जायेंगे।
- संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2010 की तृतीय काउन्सिलिंग तक के सभी प्रवेशित (पूर्णतः कन्फर्मण्ड) छात्रों की सूची महाविद्यालय वार www.lkouniv.ac.in पर उपलब्ध होगी एवं प्रत्येक सम्बद्धक विश्वविद्यालय के कुलसचिव को भी उपलब्ध करा दी जायेगी।
- महाविद्यालयों द्वारा रिक्त सीटों पर प्रवेश उनके सम्बद्धक विश्वविद्यालय के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।
- 2,50,001 से 2,75,000 सामान्य रैंक तक के अभ्यर्थियों को प्रारम्भ में रिक्त सीटों पर प्रवेश देने में प्राथमिकता दी जायेगी। तत्पश्चात सीटों के रिक्त रहने पर सामान्य रैंक 2,75001 से 3,00,000 तक के अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर दिया जा सकता हैं ।
- बी0एड0 की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु महाविद्यालयों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व सम्बन्धित सम्बद्धक विश्वविद्यालय के कुलसचिव की स्वीकृति आवश्यक है।

TELEPHONES: OFF.: 0522-2740467, RES.:2740462, Fax:(0522) 2740467, (0522) 2740462
E-mail: vc@lkouniv.ac.in

उपसचिव

- बी0एड0 की रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु महाविद्यालयों द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करने से पूर्व सम्बन्धित सम्बद्धक विश्वविद्यालय के कुलसचिव की स्वीकृति आवश्यक है।
- सभी अभ्यर्थी www.lkouniv.ac.in पर उपलब्ध आवेदन पत्र को डाउनलोड कर महाविद्यालयों में रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु आवेदन कर सकते है।
- यह आवेदन पत्र निःशुल्क होगा जिसे अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भर कर उपयुक्त संलग्नकों के साथ उस महाविद्यालय में जमा करें जहाँ वे प्रवेश लेने हेतु इच्छुक हों।
- प्रवेश के लिये आवेदन पत्र को स्वीकार करने हेतु न तो संम्बन्धित महाविद्यालय द्वारा कोई शुल्क लिया जायेगा और न ही स्वयं का कोई आवेदन पत्र छपवा कर अभ्यर्थियों को विक्रय किया जायेगा।
- महाविद्यालयों द्वारा अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय देते हुए आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि विज्ञापित करनी होगी।
- संयुक्त प्रवेश परीक्षा बी0एड0 2010 की लिखित परीक्षा के आधार पर प्रदत्त सामान्य रैंक के अनुसार ही महाविद्यालयों को मेरिट सूची तैयार कर तद्नुसार प्रवेश देना होगा।
- उपरोक्त आधार के अतिरिक्त रिक्त सीटों को भरने हेतु महाविद्यालय द्वारा किसी अन्य आधार का लिया जाना अनुमन्य नहीं होगा।
- प्रवेश प्रक्रिया उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के आरक्षण नियमों, अन्य निर्देशों एवं माननीय उच्च न्यायालय के सुसंगत निर्देश/निर्णय के अधीन होगा।
- प्रवेश हेतु महाविद्यालय द्वारा व्यापक रूप से विज्ञापन द्वारा प्रवेश कार्यक्रम का प्रकाशन किया जाये जिससे प्रत्येक अभ्यर्थी को बराबर का अवसर मिल सके एवं शुचिता एवं पारदर्शिता बनी रहे।
- इन प्रवेशों से सम्बन्धित सभी प्रकार की शिकायतों का निवारण सम्बन्धित सम्बद्धक विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा एवं यह वादियों के लिए बाध्यकारी होगा।
- इस विधि द्वारा रिक्त सीटों को भरे जाने के पश्चात् प्रत्येक प्रतिभागी विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयवार प्रतिहस्ताक्षरित मुद्रित विस्तृत सूची एवं इसकी सी0डी0 कुलसचिव, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ को प्राप्त होने के उपरांत ही प्रक्रिया पूर्ण मानी जायेगी।

भवदीय

मनोज कुमार मिश्र

(मनोज कुमार मिश्र)
कुलपति

श्री मनोज कुमार
आई.ए.एस.
प्रमुख सचिव,
उच्च शिक्षा अनुभाग–2
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।